

विदेश मंत्रालय  
(हज प्रभाग)

नं. एम(हज)/1183/01/2014

9 मई, 2014

शुद्धिपत्र

केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर प्रकाशित हज-2014 हेतु भारतीय महावाणिज्य दूतावास में औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु दिनांक 29 अप्रैल, 2014 की निविदा आमंत्रण सूचना के संदर्भ में।

2. इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण/टिप्पणियों को निम्नवत पढ़ा जाए :

**खण्ड संख्या 4.8 :**

औषधियों की कम मात्रा में आपूर्ति के मामले में मदों पर मोहर लगाने के स्थान पर “जेद्दाह की आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं” लिखा स्टीकर लगाया जाए।

**क्रम संख्या/ औषधि की मद संख्या**

**ख. एनलजेसिक, एंटीपाईरेटिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीकोल्ड मद संख्या 58**

मद संख्या 58 कैप्साईसिन के साथ चाहिए

**मद संख्या 83 :**

मद संख्या 83 में मैग्नेसियम एल्यूमिनियम सिलिकेट नहीं होता, तथापि, मद संख्या 72 में मैग्नेसियम एल्यूमिनियम सिलिकेट 50 मि.ग्रा. होता है।

किसी भी मानक निर्माता की कोई भी ब्रांड जिसमें हमारे इंडेंट में इंगित सभी मिश्रण शामिल हो, स्वीकार्य है।

**मद संख्या 176/177:**

किसी भी मानक निर्माता की कोई भी ब्रांड जिसमें हमारे इंडेंट में इंगित सभी मिश्रण शामिल हो, स्वीकार्य है।

**मद संख्या 231/232/233 :**

लेटेक्स सर्जिकल दस्ताने

मद संख्या 231 “संख्या” में चाहिए क्योंकि यह रोगाणुविहीन परीक्षण दस्ताने हैं और मद संख्या 232/233 जोड़े में चाहिए क्योंकि यह निर्वर्त्य रोगाणुहीन सर्जिकल दस्ताने हैं जो जोड़े में आते हैं।

**(ख) विशेष खण्ड संख्या 7 :**

सभी आपूर्ति की जा रही औषधियों के लिए सरकार से अनुमोदित रसायनज्ञ (औषध विश्लेषक) से गुणता नियंत्रण प्रमाणपत्र/रिपोर्ट औषधियों के साथ भेजी जाए चूंकि यह स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आवश्यकता है।

**स्पष्टीकरण :**

जब मात्रा कम होने के कारण सरकार से अनुमोदित प्रयोगशाला/रसायनज्ञ/औषध विश्लेषक से गुणता नियंत्रण प्रमाणपत्र/विश्लेषण रिपोर्ट संभव नहीं हो तो आपूर्तिकता निर्माता की बैच-वार विश्लेषण इन-हाउस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

**भाग II (क) सामान्य 4. पात्र बोलीदाता खण्ड 4.8 :**

औषधियों की स्ट्रिप/पैकेट/बोतल पर “जेद्दाह को आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं” का स्टीकर/मोहर लगी हो।

**स्पष्टीकरण :**

**(ख) विशेष खण्ड संख्या 12 :**

जेनरिक औषधियों की आपूर्ति न की जाए।

**स्पष्टीकरण :**

औषधियों की गुणवत्ता प्रतिष्ठित निर्माताओं से प्रापण करके सुनिश्चित की जाए। यह ध्यान रखें कि साऊदी खाद्य और औषध प्राधिकरण, प्रेषित माल की अनुमति देने से पूर्व गुणता नियंत्रण परीक्षण करता है। साऊदी स्वास्थ्य प्राधिकारी हमारे द्वारा लाईसेंस जारी करने से पूर्व मर्दों की जांच भी करते हैं। वे प्रायः हज के दौरान गुणता नियंत्रण परीक्षण करते हैं।

3. निविदा की अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

4. इसे समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मोईन अखतर)  
अताशे (हज)  
आईएसआईएल भवन  
9, भगवानदास रोड  
नई दिल्ली  
टेलीफोन - 011-23389136